सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	वैशाख 11, बुधवार, *शाके* 1946-मई 01, 2024 *Vaisakha 11, Wednesday , Saka 1946- May 01, 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वित्त (आबकारी) विभाग

आज्ञा

जयपुर, अप्रेल 29, 2024

संख्या प.4(1)वित्त/आब/2024 **:-**इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आज्ञा दिनांक 1 फरवरी, 2024की निरन्तरता में मदिरा दुकानों के संचालन हेतु अन्तरिम व्यवस्था तथा वर्ष 2024-25 के बंदोबस्त हेतु निम्नानुसार प्रावधान किये जाते हैंः-

(i) आबकारी एवं मद्य संयम नीति वर्ष 2024-25 के बिन्दु संख्या 2.5.3 में अनुज्ञापत्रों के नवीनीकरण हेतु आवेदन व नवीनीकरण फीस तथा धरोहर राशि जमा कराने की अवधि दिनांक 07.05.2024 तक बढ़ाई जाती है। साथ ही, वर्ष 2024-25 हेतु नवीनीकरण की गई मदिरा दुकानों के अनुज्ञाधारियों को वर्ष 2023-24 के चतुर्थ त्रैमास की बकाया गारंटी को दिनांक 30.06.2024 तक मदिरा उठाव/नकद से पूर्ति करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(ii) पड़त दुकानों का आवंटन RTDC/RSBCL/RSGSM को किया जा सकेगा। इन मदिरा दुकानों के लिये उनके द्वारा उठाई जाने वाली मदिरा, बीयर आदि की आबकारी ड्यूटी व अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी के योग की 5 प्रतिशत राशि वार्षिक लाईसेंस फीस के रूप में आरएसबीसीएल/आरएसजीएसएम से मदिरा, बीयर आदि क्रय करते समय निर्धारित आबकारी ड्यूटी व अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी के साथ ही जमा कराई जाएगी।

(iii) विभागीय समसंख्यक आज्ञा दिनांक 13.03.2024 के क्रम में जिन दुकानों के अनुज्ञाधारियों द्वारा अवधि बढ़ाने की सहमति नहीं दी गई है या जिनके अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने के कारण ये दुकानें वर्तमान में पड़त हैं, इन पड़त दुकानों के दिनांक 30.06.2024 तक संचालन की अन्तरिम व्यवस्था हेतु इनका आवंटन अन्य दुकानों के अनुज्ञप्तिधारियों को किया जा सकेगा। किसी पड़त दुकान के संचालन के लिए एक से अधिक अनुज्ञप्तिधारियों के इच्छुक होने पर उस दुकान के निकटस्थ स्थित दुकान के अनुज्ञप्तिधारी को प्राथमिकता दी जाएगी। इन दुकानों के लिये गारंटी राशि का निर्धारण वित्तीय वर्ष 2024-25के लिये नवीनीकरण हेतु निर्धारित गारंटी राशि के आधार पर अवधि अनुसार आनुपातिक रूप से किया जायेगा। अन्य शर्तें विभागीय आज्ञा दिनांक 13.03.2024 के अनुसार रहेंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,
जसवंत सिंह,
संयुक्त शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।